<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टीए/2738/2004/अलवर</u>

1– हजारासिंह पुत्र गुरदत्तसिंह (मृतक जरिये वारिसान)
1/1 केहससिंह पुत्र हजारासिंह
1/2 मंगलसिंह पुत्र हजारासिंह
1/3 ककुसिंह पुत्र हजारासिंह(मृतक जरिये वारिसान)
3/1 जसविंद्रसिंह पुत्र ककुसिंह
3/2 सरनोबाई पत्नी ककुसिंह
समस्त जाति रायसिख निवासी खरखेडी सारेकलां तहसील तिजारा जिला अलवर।

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

1– बन्जारासिंह (मृतक जरिये वारिसान)
1/1 नग्गासिंह पुत्र बन्जारासिंह
1/2 महगासिंह पुत्र बन्जारासिंह
2– अक्कीबाई बैवा तारासिंह (फौत नाम तर्क)
3– जगदीशसिंह पुत्र फौजासिंह
4– रणजीतसिंह पुत्र तारासिंह
5– प्रीतमसिंह पुत्र तारासिंह
6– दर्शनसिंह पुत्र तारासिंह
7– मु0 दानीबाई पुत्री तारासिंह
8– मु0 मायाबाई पुत्री तारासिंह
9– मु0 गुरदेवीबाई पुत्री तारासिंह
10– मु0 इन्द्राबाई पुत्री तारासिंह
समस्त जाति रायसिख निवासी खरखेडी सारेकलां तहसील तिजारा जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड–पीठ</u>
श्री किशोर कुमार, सदस्य
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>
श्रीमती पूनम माथुर, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 05–02–2026

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 79/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–4–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी ने विचारण न्यायालय उपजिलाधीश किशनगढ़ अलवर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद बाबत इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इंद्राज का इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल खसरा नंबर 103 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 105 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि खरखड़ी तहसील तिजारा में स्थित है, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी के कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु उक्त भूमि जमाबंदी संवत् 2036 में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 10 के पूर्वज तारासिंह के नाम कर दी गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात स्वयं के हिस्से दर्ज करने का अनुतोष विचारण न्यायालय से चाहा गया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब दावे के आधार पर दादरसी सहित कुल 4 तनकीयात कायम कर बाद साक्ष्य व सुनवाई विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24–05–1984 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 का वाद खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने निर्णय दिनांक 25–04–2003 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 1 को खसरा नंबर 105 का खातेदार घोषित कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि खसरा नंबर 64 में से वादी बंजारासिंह को 1 बीघा 9 बिस्वा, हजारासिंह को 2 बीघा 4

बिस्वा व तारासिंह को 2 बीघा 4 बिस्वा का आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् 1979 में सनद जारी कर पूरी कीमत अपीलार्थी से वसूल की जाकर नामांतकरण 45 तस्दीक किया गया था जिसके बाद अपीलार्थी ने कब्जा प्राप्त कर लिया था। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों व दस्तावेजों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर तनकीवार वादी का वाद सही रूप से खारिज किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर बिना प्रतिवादीगण को बिना सुने इकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए आदेश दिनांक 25-4-2003 द्वारा वादी का वाद गलत रूप से स्वीकार कर उसे खसरा नंबर 105 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार घोषित करने में त्रुटि कारित करते हुए अपील को मनमाने तौर पर स्वीकार कर लिया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे एवं विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील में हुई सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया।

5- विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विवादित भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जो प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी इंतकाल सनद से साबित है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के पक्ष में जो इंद्राज जमाबंदी संवत् 2036 में किये गये है वह पूर्व में हुए इंद्रजात के विरूद्ध वादी की अनुपस्थिति होने से प्रारंभ से प्रभावशून्य व विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। संवत् 2029 तक के इंद्रजात वादी के पक्ष में है किंतु संवत् 2036 में गलत तौर पर प्रतिवादीगण के पक्ष में कर दिये गये। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा साक्ष्यों से तनकीयात साबित कराने के बावजूद वाद खारिज किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

मियाद के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत् अपील मियाद बाहर पेश

की गई है तथा मियाद प्रार्थना पत्र में देरी को क्षम्य किये जाने के जो कारण अभिलिखित किये गये है वह पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

6– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रिकोर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत् द्वितीय अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–04–2003 के विरूद्ध दिनांक 07–07–2004 को प्रस्तुत करते हुए अपील के साथ मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलार्थीगण जोकि ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति है, जिनसे यह अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि उन्हें न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही का जानकारी हो सके। प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण अपील के गुणावगुण पर किया जाना अपेक्षित है तथा विधि की भी यह मंशा रही है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहाँ न्यायालय को मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु के स्थान पर प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय हेतु अग्रसर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

8– प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता बंजारासिंह द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम खारखड़ी तहसील तिजारा के हाल खसरा नम्बर 103 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा भूमि के बाबत् वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि उक्त भूमि प्रत्थ्यर्थी संख्या – 1 को आवंटित शुदा भूमि रही है, किन्तु जमाबन्दी संवत् 2026 में उक्त आराजीयात् को दौराने भू–प्रबन्ध प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसकी खातेदारी अधिकार प्रदान करने एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हफज करने की मांग वादपत्र के माध्यम से की गई। प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र के अनुसरण में प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि खसरा नम्बर 103 व 105 गत् खसरा नम्बर 64 से बने है परन्तु खसरा नम्बर 64 का कुल कितना क्षेत्रफल है तथा उसके कुछ रकबों से अब कौन–कौन से खसरा नम्बरान् बने है

तथा जब वादी को खसरा नम्बर 64 में 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि की आवंटित की गई तो जमाबन्दी संवत् 2029 में इसी खसरा नम्बर 64 से बने नये दो खसरा नम्बर 103 व 105 की 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी के नाम आवंटित नहीं माना जा सकता। उक्त आधार पर प्रत्यर्थी संख्या – 1 के वादपत्र को खारिज किया गया है।

9– इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण के पिता बंजारसिंह की अपील को इस आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है कि साबिका खसरा नम्बर 64 की भूमि हजारासिंह, तारासिंह एवं बंजारासिंह को आवंटित हुई थी। इसी अनुरूप बंजारासिंह को आवंटित भूमि के हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा कायम हुई है तथा वर्ष 1981 में नामान्तरणकरण संख्या 45 द्वारा बंजारासिंह को खातेदारी प्रदत्त की गई है। इसी क्रम में यह भी अभिलिखित किया गया है कि दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही खसरा नम्बर 105 के अतिरिक्त खसरा नम्बर 103 की भूमि की खातेदारी भी बंजारासिंह के नाम दर्ज कर दी गई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या – 1 के पिता/वादी बंजारासिंह को खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा शेष भूमि के बाबत् अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा गया है।

10– इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 64 रहे है, जिसमें से हजारासिंह, तारासिंह एवं बंजारासिंह को भूमि आवंटित हुई थी। उक्त आवंटित भूमि में से बंजारासिंह को खसरा नम्बर 105 की 1 बीघा 04 बिस्वा भूमि आवंटित होना जाहिर है। दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही बंजारासिंह को आवंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बर 103 की भूमि भी बंजारासिंह के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग में केवल मात्र पूर्व के इन्द्राजात् को दोहराने की शक्तियाँ निहित है, किसी प्रकार के नये इन्द्राजात् को दर्ज करने अधिकारिता भू–प्रबन्ध विभाग को प्राप्त नहीं है। प्ररकण में चूंकि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 64 के नवीन खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा भूमि ही पूर्ववर्ती रूप से बंजारासिंह को आवंटित रही है ऐसी स्थिति में भू–प्रबन्ध विभाग के इन्द्राजात् के आधार पर बंजारासिंह सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन के तथ्यों एवं पश्चात्वर्ती राजस्व रिकार्ड के विपरीत

जाकर प्रत्यर्थी संख्या – 1/बंजारासिंह के सम्पूर्ण वाद को खारिज किया गया है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आराजी जैर के आवंटन एवं आवंटन पश्चात् खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा भूमि की खातेदारी बंजारासिंह को प्रदत्त किया जाना एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2030–2033 के आधार पर उक्त भूमि बंजारासिंह की काश्त होना यह जाहिर करती है कि खेत खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार बंजारासिंह रहा है तथा उसे विधि विरूद्ध तरीके से हजारा सिंह के नाम दर्ज कर दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन, पश्चात्वर्ती खातेदारी एवं भू–प्रबन्ध विभाग के इन्द्राजात् को दृष्टिगत् रखते हुए वादी बंजारासिंह को सम्पूर्ण भूमि के स्थान पर उसके धारण/आवंटिती भूमि की हद तक अर्थात खेत खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा भूमि की हद तक खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

11– परिणामतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 79/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–4–2003 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटा दिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(किशोर कुमार)
सदस्य